(8)

परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 25 मार्च, 1975 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1975 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1)	श्री वी0एस0कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2)	श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
3)	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
4)	श्री कल्यान दास जैन		सदस्य
5)	श्री आर0के0भार्गव	विशेष वित्त सचिव-वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6)	श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी	मुख्य अभियन्ता, स्वा0शा0अभि0वि0	सदस्य
7)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दो माह के भीतर इस बैठक को न बुलाने के कारण से सदस्यों को अवगत करा दिया गया ।

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

पद संख्या	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 को हुई वर्ष 1974 की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1/(1)/75	सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई । कार्यवृत्त के पद संख्या-3 के सम्बन्ध में-वित्त सचिव के प्रतिनिधि के पत्र संख्या: ई-6-68/दस 75-5/69/71 दिनांक जनवरी 9, 1975 पर विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि कार्यवृत्त में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । कार्यवृत्त के अनुसार वित्त विभाग के प्रतिनिधि तथा आवास आयुक्त की बैठक में इस पत्र को सूचनार्थ रखा जाय ।
2)	परिषद् की वर्ष 1974 की सातवीं बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	1/(2)/75	परिषद् ने वर्ष 1974 की सातवीं बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	परिषद् के वित्तीय वर्ष 1974-75 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक में सम्मलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्यौरेवार अनुमान ।	1/(3)/75	परिषद् के वित्तीय वर्ष 1974-75 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 1975-76 के आय-व्ययक में सम्मलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्यौरेवार अनुमान पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् 1975-76 के आय-व्ययक के अनुमान को सर्वसम्मति से अनन्तिम स्वीकृति दी गई । साथ ही साथ निम्नलिखित सूचनायें परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिये निर्णय लिया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में केवल बजट ही परिषद् के समक्ष रखा जाय :- 1) 3,286 भवन जिनपर कार्य प्रगति पर है और जिनपर वर्ष 1975-76 में निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य है, के संबंध में वर्ष 1975-76 में सम्भावित व्यय का विवरण । 2) जिन 4,110 अन्य भवनों पर निर्माण कार्य वर्ष 1975-76 में प्रारम्भ किया जाना है उन पर उस वित्तीय वर्ष में सम्भावित व्यय का विवरण ।

(तारका नाथ टण्डन)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

8/4/75

क्र0पृ0उ0

1	2	3	4
			3) जो प्राविधान वर्ष 1975-76 के बजट में अधिष्ठान व्यय के लिये किया गया है उसका औचित्य ।
4)	गाजीपुर बस्तोली गृहस्थान (सेक्टर नं0-1) योजना, लखनऊ के लिये हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत ऋण रू0 147-75 लाख की स्वीकृति देना ।	1/(4)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से गाजीपुर बस्तोली गृहस्थान (सेक्टर नं0-1) योजना, लखनऊ के लिये हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट-कार्पोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत ऋण रू0 147-75 लाख की स्वीकृति प्रदान की और साथ ही साथ राज्य सरकार से हड्को की गारन्टी देने हेतु जो अनुरोध किया गया है उसकी स्वीकृति देते हुये राज्य सरकार को काउन्टर गारन्टी देने की सहमति भी प्रदान की। यह भी निर्णय लिया कि ऋण संबंधी अनुबन्ध पर मुहर आवास आयुक्त की उपस्थिति में लगाई जायेगी ।
5)	अंगूरीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद (क्षेत्रफल 8 एकड़ अनुमानित लागत 5-52 लाख) नियोजन समिति पूर्वी क्षेत्र के निर्णय की पुष्टि के संबंध में ।	1/(5)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से अंगूरी बाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद (क्षेत्रफल 8 एकड़ अनुमानित लागत 5-52 लाख) के संबंध में नियोजन समिति (पूर्वी क्षेत्र) के निर्णय की पुष्टि की और योजना चलाने के लिये तदनुसार आगे की कार्यवाही करने का निर्णय लिया ।
6)	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि में दुकान चलाने वाले विस्थापितों के पक्ष में परिषद द्वारा बनाई हुई दुकानों के आवंटन की सुविधा दिये जाने के संबंध में ।	1/(6)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि में उन्ही दुकान चलाने वाले विस्थापितों के पक्ष में परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों के आवंटन की सुविधा दी जाये जो योजना की प्रथम विज्ञप्ति जारी होने के एक वर्ष पूर्व या उससे अधिक समय से उस स्थल पर दुकान चला रहे है। इनसे औसत बाजार मूल्य किश्तों में वसूल किया जाये। यह मूल्य अन्य दुकानों के निलाम द्वारा प्राप्त अधिकतम बोलियों का औसत होगा ।
7)	इज्जतनगर आवास योजना संख्या-1, ब्लाक-डी बरेली के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के भवन संख्या-39 जो श्री शिव दयाल राजपूत के नाम नक्द क्रय पध्दति पर आवंटित है, का उनकी पत्नी श्रीमती कमला कुमारी के नाम हस्तांरित किया जाना ।	1/(7)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इज्जतनगर आवास योजना संख्या-1, ब्लाक डी, बरेली के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के भवन संख्या-39 जो श्री शिव दयाल राजपूत के नाम नक्द क्रय पध्दति पर आवंटित है, का उनकी पत्नी श्रीमती कमला कुमारी के नाम आवंटन हस्तांरित करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ।साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि रजिस्ट्रेशन श्री राजपूत के नाम से ही किया जाये किन्तु बाद में वे अपनी पत्नी के नाम कानूनी तरीके से भवन हस्तांरित करा सकते है ।
8)	ट्रान्स जमुना गृहस्थान एवं सड़क योजना आगरा में समाविष्ट श्री कृष्ण कुमार पालीवाल की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में उनका पत्र दि0 8-8-74 ।	1/(8)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से ट्रान्स जमुना गृहस्थान एवं सड़क योजना, आगरा में समाविष्ट श्री कृष्ण कुमार पालीवाल की भूमि को अर्जन से मुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार नही किया । किन्तु साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि इस भूमि की जो परिषद का विकसित विक्रय मूल्य हो उस पर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाय ।

(द्वारका नाथ टण्डन)
आवास आयुक्त एवं सचिव

कृ0पृ0उ0

(10)

1	2	3	4
9)	नस्ला रोड सड़क योजना, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को हस्तांरण करने के सम्बन्ध में ।	1/(9)/75	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से नस्ला रोड सड़क योजना, इलाहाबाद को परिषद् द्वारा चलाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन से इसके लिये अनुमति प्राप्त की जाये ।
10)	भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एण्ड जनरल डेवलपमेंट स्कीम जोन-2, वाराणसी में समाविष्ट जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, वाराणसी की भूमि को अर्जन से सशर्त मुक्त करने के विषय पर विचार ।	1/(10)/75	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एण्ड जनरल डेवलपमेंट स्कीम जोन-2, वाराणसी में समाविष्ट जवाहर सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 वाराणसी की भूमि को शासनादेश संख्या:- 411पी/37-36/तीन-1966 दिनांक 27-7-1967 तथा 9-1-75 की बैठक में निधारित शर्तों के अधीन अर्जन से मुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
11)	डायमण्ड डेरी योजना, लखनऊ के अन्तर्गत निर्मित दुकानों तथा उसके ऊपर बने आवासीय भवनों के निस्तारण के संबंध में विचार ।	1/(11)/75	परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से डायमण्ड डेरी योजना, लखनऊ के अन्तर्गत निर्मित दुकानों तथा उसके ऊपर बने आवासीय भवनों के निस्तारण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि एक दुकान तथा उस पर एक आवासीय भवन को एक इकाई मानकर उसका नीलाम द्वारा निस्तारण किया जाय ।
12)	लखनऊ में जीवन बीमा निगम द्वारा टाउनशिप योजना के संबंध में ।	1/(12)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से लखनऊ में जीवन बीमा निगम द्वारा टाउनशिप योजना के संबंध में यह निर्णय लिया कि बस्तौली-गाज़ीपुर योजना के अन्तर्गत निगम को 100 एकड़ भूमि बिना लाभ हानि के आधार पर हस्तांरित किया जाय । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि यदि आवश्यक हो तो आवास आयुक्त द्वारा निगम से विचार-विमर्श के पश्चात् व्याख्यात्मक टिप्पणी में दी गई शर्तों को संशोधित करने के पश्चात् ही एग्रीमेंट करके भूमि का हस्तांरण टाउनशिप योजना के लिये किया जाये ।
13)	आवंटन पध्दति में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	1/(13)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से व्याख्यात्मक टिप्पणी में दी गई आवंटन पध्दति में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया ।
14)	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् को उ0प्र0सहकारी आवास संघ लि0, का सदस्य बनने का प्रस्ताव ।	1/(14)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से उ0प्र0सहकारी आवास संघ लि0, का सदस्य बनने के लिये निर्णय लिया । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0प्र0 से संघ का सदस्य बनाये जाने की अनुमति प्राप्त करने का अनुरोध किया जाय ।
15)	परिषद् के कार्यकलापों का प्रगति विवरण ।	1/(15)/75	परिषद् द्वारा परिषद् के कार्यकलापों की प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया ।

(शारदा नाथ शुक्ल)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

5/4/75